

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जिला भोपाल

क्रमांक/ ५७९ /अजिद/2021/

भोपाल, दिनांक : 10/05/2021

--: आदेश :-

भोपाल जिला अंतर्गत कोविड-19 की अद्यतन स्थिति के परिपेक्ष्य में सभी चिकित्सालयों में निर्बाध ऑक्सीजन सप्लाई जारी रखा जाना आवश्यक है। ऑक्सीजन सिलेण्डर के विक्रय मूल्यों में एकरूपता रखने हेतु निम्नानुसार मूल्य निर्धारित किये जाते हैं :-

क्रमांक	सिलेण्डर का प्रकार	डिस्ट्रीब्यूटर/ मेन्यूफ्रेक्चरर रेट (जीएसटी सहित)	सब डिलर्स रेट/ अस्पताल तक रेट (परिवहन एवं जीएसटी सहित)
1	7 क्यूविक मीटर	360/-	500/-
2	10 क्यूविक मीटर	510/-	650/-
3	माइक्रो सिलेण्डर	9,250/-	10,250/-

- नियत दर अधिकतम दर है। निर्धारित दर से अधिकतम दर पर विक्रय करने के प्रकरण प्राप्त होने पर कालाबाजारी प्रावधान के तहत कार्यवाही की जावेगी।
- डीलर इनपुट कॉस्ट कम होने पर कम राशि में भी विक्रय किया जा सकता है।
- यह आदेश आगामी एक माह के लिए प्रभावशील रहेगा।

(अविनाश लघानिया)

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी
जिला भोपाल

भोपाल दिनांक 10/05/2021

पृष्ठा.क्र ५७० /अजिद/2021
प्रतिलिपि:-

1. सचिव/आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश शासन की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी उत्तर/दक्षिण/मुख्यालय-1, मुख्यालय-2 की ओर सूचनार्थ।
5. समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
6. सर्व संबंधित की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी
जिला भोपाल